

PBR/अपील/उज्जैन/म.श./2017/2233
माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0
प्रकरण कं /2017 अपील

अम्बाराम पिता दुलाजी बागरी
उम्र— वर्ष लगभग जाति—बागरी
निवासी—ग्राम रूपाहेडा त0 बड़नगर जि0
उज्जैन म0प्र0
कृषक ग्राम कलमोडा त0 बड़नगर जि0 उज्जैन

श्री विश्वनाथ ठाणे
द्वारा आज दि १७.७.१७ को
प्रस्तुत

[Signature]
कलक ऑफ की. ११७
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.....अपीलांट

विरुद्ध

ईशाक पिता नबीबक्ष जाति नायता
निवासीग्राम— कलमोडा नारेलाकला त0 बड़नगर
जिला उज्जैन म0प्र0

.....रेस्पाउंट

अपील अन्तर्गत धारा 41 भु0राजस्व संहिता

अधिनस्थ माननीय न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के
अपील प्रकरण कं 150/अपील/2012-2013 मे पारित आदेश दिनांक
26/08/2013 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर ।

[Signature]
१५/१७

[Signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/उज्जैन/भू.रा./2017/2233

रथान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

प्रकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

11-10-2017	<p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी की ओर से यह अपील आयुक्त के आदेश दिनांक 26-8-2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17-7-17 को 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण अभिभाषक द्वारा आदेश की जानकारी नहीं दिया जाना बतलाया गया है, जो कि विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं है। फलस्वरूप यह अपील प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य प्रस्तुत होने से अग्राह्य की जाती है।</p>
------------	---


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष